कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ – 250110

पत्रांक : सवप/2023/नि0प्र0अनु0/112

दिनांक : 10-04-2023

कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति

माननीय प्रबन्ध परिषद की 52वीं बैठक दिनांक 17.02.2023 में पारित प्रस्ताव संख्या 52.10 द्वारा अनुमोदित कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत वैज्ञानिकों/कर्मचाारियों हेतु स्थानान्तरण नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है –

1. अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी एक जनपद में अधिकतम 6 वर्ष के लिए तैनात रहेंगे।
2. वैज्ञानिक/विषय वस्तु विशेषज्ञ (टी–6)/प्रक्षेत्र प्रबंधक/कार्यालय अधीक्षक कम लेखाकार/कार्यक्रम सहायक संवर्ग (वेतनमान 9300–34800, ग्रेड पे 4200 से अधिक) के स्टाफ एक जनपद में पूरे सेवाकाल में निरन्तर 06 वर्ष एवं अधिकतम 10 वर्ष के लिए तैनात रहेंगे।
3. अध्यक्ष/वैज्ञानिक/विषय वस्तु विशेषज्ञ (टी–6)/प्रक्षेत्र प्रबंधक/कार्यालय अधीक्षक कम लेखाकार/कार्यक्रम सहायक संवर्ग के स्टाफ की तैनाती उनके गृह जनपद में नहीं की जायेगी।
4. प्रत्येक वर्ष आवश्यक स्थानान्तरण माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में किये जायेंगे।
5. प्रत्येक वर्ष स्थानान्तरित कर्मचारियों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
6. परियोजना विशेष हेतु प्रशिक्षित कार्मिकों को परियोजना अवधि के लिए संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र पर तैनात किया जा सकेगा।
7. पति–पत्नी दोनों के विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों पर सेवा में होने की स्थिति में दोनों को एक ही जनपद में तैनाती की जायेगी।

निम्नलिखित परिस्थितियों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निम्नवत स्थानान्तरण किये जा सकेगे –

i. प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार कभी भी स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा किये जा सकते हैं।

ii. प्रोन्नति, वाहय सेवा में चयन के कारण रिक्त, सेवानिवृति, सेवा समाप्ति, आदि की स्थिति में सम्बन्धित कृषि विज्ञान केन्द्र की आवश्यकतानुसार किसी भी समय स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

iii. किसी अधिकारी/कर्मचारी की अपरिहार्य परिस्थिति एवं वास्तविक कारणों के दृष्टिगत उचित माध्यम से पूर्ण संस्तुति सहित स्थानान्तरण प्रस्ताव अथवा अधिकारी/कर्मचारी की आपसी सहमति की स्थिति में स्थानान्तरण किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।

iv. आगामी 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों (अध्यक्ष/वैज्ञानिक/विषय वस्तु विशेषज्ञ (टी–6)/प्रक्षेत्र प्रबंधक/कार्यालय अधीक्षक कम लेखाकार/कार्यक्रम सहायक संवर्ग) को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जा सकता है।

क्रमशः.................

स्थानान्तरित कार्मिकों को मुक्त किया जानाः–

i. स्थानान्तरण आदेश के जारी होने की तिथि से सामान्यतः एक सप्ताह में और विशेष परिस्थिति में दो सप्ताह में स्थानान्तरित कार्यस्थल में योगदान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा योगदान नहीं किया जाता है तो उसे स्थानान्तरित कार्यस्थल से स्वतः प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। निर्धारित समयावधि में संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने हेतु समस्त औपचारिकातायें पूर्ण करते हुये स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त करना होगा। उक्त आदेश का पालन न किया जाना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगा।

ii. स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन एवं सिफारिशः–

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अग्रसारित न किया जाये। यदि कोई वैज्ञानिक/कर्मचारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करते हैं तो उनके इस कृत्य (आचरण) को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुए, उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए निलम्बन के संबंध में भी विचार किया जा सकता है।

- कृषि विज्ञान केन्द्र की विशिष्ट आवश्यकताओं यथा स्थानान्तरण समय में परिवर्तन, भौगोलिक आवश्यकता अथवा किसी विशिष्ट योजना के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो माननीय कुलपति जी स्थानान्तरण नीति में परिर्वतन हेतु अधिकृत होंगे।
- विश्वविद्यालय कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से माननीय कुलपति जी द्वारा कभी भी किसी कार्मिक को स्थानान्तरित किया जा सकता है।
- स्थानान्तरण नीति में किसी भी प्रकार का संशोधन माननीय कुलपति जी द्वारा किया जा सकेगा।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

10/04/2023

निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण

प्रतिलिपि :

1 निदेशक प्रसार को इस आशय के साथ कि कृपया विश्वविद्यालय कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों पर स्थानान्तरण नीति की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।

2 वित्त नियंत्रक/सचिव माननीय प्रबन्ध परिषद

3 प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल को इस आशय के साथ कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति को विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

4 जनसम्पर्क अधिकारी को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ – 250110

पत्रांक : सवप/2023/नि0प्र0अनु0/121

दिनांक : 17 अप्रैल, 2023

शुद्धि पत्र

कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति

निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय के पत्रांक संख्या सवप/2023/नि.प्र.अनु./112 दिनांक 10.04.2023 द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत वैज्ञानिकों/कर्मचारियों हेतु स्थानान्तरण नीति जारी की गयी थी। जिसके बिन्दु संख्या 04 में दिये गये निर्देश कि "प्रत्येक वर्ष आवश्यक स्थानान्तरण माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में किये जायेंगे" के स्थान पर "**प्रत्येक वर्ष आवश्यक स्थानान्तरण सामान्यतः अप्रैल माह में किये जायेंगे**" पढ़ा जाये।

यह शुद्धि पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

17/04/2023

निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण

प्रतिलिपि :

1. निदेशक प्रसार को इस आशय के साथ कि कृपया विश्वविद्यालय कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों पर स्थानान्तरण नीति के संबंध में जारी शुद्धि पत्र की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. वित्त नियंत्रक/सचिव माननीय प्रबन्ध परिषद
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल को इस आशय के साथ कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति के साथ शुद्धि पत्र को भी विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. जनसम्पर्क अधिकारी को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।